राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.17(17)चिस्वा/2/2010 जयपुर, दिनांकः 02.10.2010

आज्ञा

भारत के संविधान के 73 वें संशोधन की 11 वीं अनुसूची मे वर्णित 29 विषयों में से राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आज्ञा कमांक एफ.4(02)पंरावि/सशवत/2010/27 दिनांक 02.10.2010 द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ मय फण्ड्स एवं स्टाफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन करते हुए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित निम्न कार्यकलाप हस्तान्तरित किये गये है:–

(i) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सभी उप केन्द्र, एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेन्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन कर दिये जावे। जिला परिषद स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मय स्टाफ हस्तान्तरित कर दिया जावे/जो हस्तान्तरित चिकित्सा केन्द्रों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

(ii) जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समस्त कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू होने के लिये इस कार्यक्रम से जुड़ी समस्त गतिविधियाँ एवं जिला स्तर तक के सम्पूर्ण स्टाफ को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया जावें।

(iii) एन.आर.एच.एम. द्वारा क्रियान्वित की जा रही जिला स्तर तक की गतिविधियाँ पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही क्रियान्वित करवायी जावे एवं इस प्रयोजन हेतु जिला स्तर तक सृजित स्टाफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया जावे।

I इस संदर्भ में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश कमांक प.16(58)चिस्वा/2/99 दिनांक 01.05.2000 एवं मुख्य सचिव के आदेश कमांक एफ.4(66)नपंराज/पीसी/2002/565 दिनांक 19.06.2003 का अतिकमण करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते है:–

विषय/कार्यकलापों का हस्तान्तरण

पंचायती राज विभाग के क्षेत्राधिकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम, गतिविधियां विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले नीतिगत/तकनीकी/सामयिक निर्णयों और दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए संबंधित पंचायत राज संस्थान द्वारा निष्पादन/क्रियान्वयन किया जावेगा।

विभिन्न कार्यकलापों के तहत आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का दायित्व पंचायती राज संस्थानों का होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में सभी उपकेन्द्र एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेन्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन किये जाते है।

जिला स्तर

1. जिला स्तरीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण)/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण/स्वास्थ्य)/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी एवं उनके कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जिला परिषद के अधीन किया जाता है।

2. जिला परिषद/जिला परिषद द्वारा गठित समिति उनके क्षेत्राधिकार के कार्यालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे एवं जो कमियों पाई जावें उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश/सुझाव अधिकारियों/विभाग को प्रेषित कर सकें।

3. विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होगी।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी विभिन्न [illegible] की वार्षिक योजनाऐं तैयार कर जिला परिषद से अनुमोदित करवायेंगे एवं इसके पश्चात ही राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

5. जिले में आवश्यकतानुसार नवीन चिकित्सा संस्थानों को खोलने के प्रस्ताव जिला परिषद से अनुमोदन करवाने के पश्चात ही राज्य सरकार को प्रेषित किये जा सकेंगे।

6. जन स्वास्थ्य की समस्याओं एवं मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रतिरोधात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होगी।

पंचायत समिति स्तर

1. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सभी कर्मचारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी पंचायत समिति के अधीन कार्य सम्पन्न करेंगे।

2. विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होगी।

3. पंचायत समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे तथा पाई गई कमियों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश/सुझाव संबंधित अधिकारियों/विभाग को प्रेषित करेंगे।

4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाऐं तैयार कर पंचायत समिति से अनुमोदित करवायेंगे एवं इसके पश्चात ही उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

5. पंचायत समिति क्षेत्र में आवश्यकतानुसार नवीन चिकित्सा संस्थानों को खोलने के प्रस्ताव पंचायत समिति से अनुमोदन करवाने के पश्चात ही जिला मुख्यालय को प्रेषित किये जा सकेंगे।

6. जन स्वास्थ्य की समस्याओं एवं मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रतिरोधात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होगी।

7. चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन पंचायत समिति की अनुशंषा पर होगा। भूमि चयन के समय यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के निवासी सुगमता से वहां पहुंच सके तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो।

ग्राम पंचायत स्तर

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत ए.एन.एम., जी.एन.एम., पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अपना कार्य ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करेंगे।

2. आशा सहयोगिनी का चयन नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

3. ए.एन.एम. का भ्रमण कार्यक्रम व आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार सरपंच, ग्राम पंचायत को होगा।

4. विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं सरपंच की होगी।

5. सरपंच ग्राम पंचायत उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे व जो कर्मचारी अनुपस्थित मिले उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पंचायत समिति/जिला परिषद को प्रेषित करेंगे। इन प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

6. चिकित्सा विभाग में कार्यरत ए.एन.एम., जी.एन.एम., पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अपने कार्य के प्रति उदासीन है या कार्य से अनुपस्थित है अथवा अपने कार्य स्थल पर निवास नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर स्थानांतरण हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अपनी अनुशंसा भेजेंगी। इन अनुशंसाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8.. उप केन्द्रों के कार्यकर्त्ता विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाऐं तैयार कर ग्राम पंचायत से अनुमोदित करवायेंगे एवं इसके पश्चात ही खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

9. जन स्वास्थ्य की समस्याओं एवं मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एव प्रतिरोधात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।

10. चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। भूमि चयन के समय यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के निवासी सुगमता से वहां पहुंच सके तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता उस भवन में सुरक्षित रूप से रह सके।

II विभाग से जुडे कार्यकलाप जो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर हस्तान्तरित किये जा रहे है, का विवरण परिशिष्ठ–1 पर अंकित है। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हस्तान्तरित कार्यकलापों से जुडी अन्य राज्य/केन्द्र/बाह्रय संस्थाओं से जुडी गतिविधियों जो भविष्य में लागू की जावेगी, उनका कियान्वयन भी इसी प्रकार सुनिश्चित किया जावेगा।

III उक्त आदेशों के तहत हस्तान्तरित पदों का जिलेवार एवं पदवार विवरण परिशिष्ठ–2 पर अंकित है।

IV हस्तान्तरित स्टाफ (परिशिष्ठ–2 के अनुसार) भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन रहते हुए उनके मार्गदर्शन में कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

V उपरोक्तानुसार वर्णित स्टाफ पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होगा एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार वित्तीय प्रकरणों के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

VI हस्तान्तरित स्टाफ का तकनीकी पर्यवेक्षण पूर्ववत विभाग के अधीन रहेगा।

VII समस्त हस्तान्तरित स्टाफ (परिशिष्ठ–2 के अनुसार) तुरन्त प्रभाव से पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कार्यशील माने जावेंगे।

VIII विभाग के तकनीकी कार्यों से संबंधित सूचना एवं पर्यवेक्षण का कार्य पूर्ववत राज्य सरकार व चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता रहेगा।

IX महामारी, आपदा एवं चिकित्सकीय आपातकालीन अवस्था में आपदाओं आदि से निपटने एवं राज्य स्तरीय अभियानों के संचालन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे सकेंगे।

X उक्त वर्णित आदेशों के कम में विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेश अब उस सीमा तक अतिक्रमित माने जावेंगे, जिस सीमा तक इन आदेशों के प्रतिकूल/असंगत होंगे।

XI उपरोक्त आज्ञा के कियान्वयन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संशय की स्थिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा।

XII उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

Sd/.

(बी. एन. शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मा. पंचायती राज मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
6. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर।
9. परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, राज. जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
12. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
14. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान
15. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राजस्थान
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
17. निजी/रक्षित पत्रावली

(आर. सी. ढेनवाल)

शासन उप सचिव

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जाने वाले कार्यों का विवरण

जिला परिषद स्तर पर

1. सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों का कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन
2. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित समस्त धाराओं, अधिनियम एवं नियमों के अध्यधीन कार्यों का कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन
3. सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना
4. सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेक्षण संबंधित गतिविधियों का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण
5. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों के कियान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
6. विभाग द्वारा सभी विभिन्न परियोजनाओं का कियान्वयन
7. समस्त लेखा, बजट, आय व्यय एवं अंकेषण कार्य
8. प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन

पंचायत समिति स्तर पर

1. चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
2. मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य सेवायें
3. गर्भवति महिलाओं की जाचॅ एंव प्रसव सेवायें
4. परिवार कल्याण सेवायें
5. क्षेत्र विशेष में मौसमी बिमारियों के बचाव, नियंत्रण एंव उपचार की सेवायें
6. सूचनाओं का संग्रहण, संकलन एंव सम्प्रेषण
7. स्वास्थ्य शिक्षा
8. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की गतिविधियों का सम्पादन
9. रेफरल सेवायें
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों का संचालन
11. मूलभूत जाचॅ सुविधायें
12. स्थानीय दाई, आशा एंव अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रशिक्षण

ग्राम पंचायत स्तर पर

1. मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य सेवायें
    - प्रसव पूर्व जाचॅ एंव सेवायें
    - प्रसव सेवायें
    - प्रसवोत्तर सेवायें
2. टीकाकरण सेवायें
3. परिवार कल्याण सेवायें
4. सामान्य जाचॅ जैसे खून पेशाब आदि
5. ग्राम पंचायत स्तर पर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की कियान्विति
6. मौसमी बिमारियों एंव मलेरिया का बचाव, नियंत्रण एंव उपचार की सेवायें
7. जल शुद्धिकरण सेवायें
8. आगंनबाडी कार्यकर्ता एंव आशा सहयोगिनी के साथ सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कियान्वयन
9. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत सम्पादित की जा रही गतिविधियों का कियान्वयन
10. ग्राम स्वास्थ्य समिति की गतिविधियों का सम्पादन
11. अन–टाईड फण्ड का नियमानुसार समुचित उपयोग
12. जन्म एंव मृत्यू का पंजिकरण
13. ग्रामिणों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिये स्वास्थ्य शिक्षा

LIST OF CMHO/ ADDL CMHO/ DY CMHO FW AND DY CMHO HEALTH POST SANCTIONED

S.No	NAME OF DISTRICT	CMHO	ADDL CMHO (FW)/ DY CMHO (FW)	RCHO	DY CMHO (HEALTH)
1	AJMER	1	1	1	1
2	ALWAR	1	1	1	1
3	BANSWARA	1	1	1	1
[illegible]	[illegible]	1	1	1	1
5	BARMER	1	1	1	1
6	BHARATPUR	1	1	1	1
7	BHILWARA	1	1	1	1
8	BIKANER	1	1	1	1
9	BUNDI	1	1	1	1
10	CHITTORGARH	1	1	1	1
11	CHURU	1	1	1	1
12	DHOLPUR	1	1	1	1
13	DOUSA	1	1	1	1
14	DUNGARPUR	1	1	1	1
15	HANUMANGARH	1	1	1	1
16	JAIPUR	2	2	2	1
17	JAISALMER	1	1	1	1
18	JALORE	1	1	1	1
19	JHALAWAR	1	1	1	1
20	JHUNJHUNU	1	1	1	1
21	JODHPUR	1	1	1	1
22	KARAULI	1	1	1	1
23	KOTA	1	1	1	1
24	NAGOUR	1	1	1	1
25	PALI	1	1	1	1
26	PRATAPGARH	1	1	1	1
27	RAJSAMAND	1	1	1	1
28	SAWAIMADHOPUR	1	1	1	1
29	SIKAR	1	1	1	1
30	SIROHI	1	1	1	1
31	SRIGANGANAGAR	1	1	1	1
32	TONK	1	1	1	1
33	UDAIPUR	1	1	1	1
	TOTAL:-	**34**	**34**	**34**	**33**

LIST OF DOCTORs POST SANCTIONED AT TBCs

S.No	NAME OF DISTRICT	TBC			
		SS	JS	SMO	MO
1	AJMER	0	1	0	1
2	ALWAR	1	0	0	1
3	BANSWARA	0	1	0	1
4	BARAN	0	1	0	1
5	BARMER	0	1	0	1
6	BHARATPUR	1	1	0	1
7	BHILWARA	1	1	0	1
8	BIKANER	1	1	1	0
9	BUNDI	0	1	0	1
10	CHITTORGARH	0	1	1	0
11	CHURU	0	1	2	0
12	DHOLPUR	0	1	0	1
13	DOUSA	0	1	0	1
14	DUNGARPUR	0	1	0	1
15	HANUMANGARH	0	1	0	1
16	JAIPUR	2	4	0	0
17	JAISALMER	0	1	1	0
18	JALORE	0	1	1	0
19	JHALAWAR	1	1	0	1
20	JHUNJHUNU	0	1	0	1
21	JODHPUR	1	1	1	0
22	KARAULI	0	1	0	1
23	KOTA	1	1	0	1
24	NAGOUR	0	1	1	0
25	PALI	0	1	0	1
26	PRATAPGARH	0	2	0	2
27	RAJSAMAND	0	1	0	1
28	SAWAIMADHOPUR	0	1	0	1
29	SIKAR	0	1	1	0
30	SIROHI	0	1	0	1
31	SRIGANGANAGAR	0	1	0	1
32	TONK	0	1	0	1
33	UDAIPUR	1	1	1	0
	TOTAL:-	**10**	**36**	**10**	**24**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में विभागीय अराजपत्रित संवर्ग के पदों का विवरण

क.सं.	जिले का नाम	कार्या.सहा.	वरि.लिपिक	क.लिपिक	वा.चालक	च.श्रे.कर्म.	जमादार	स्वीपर
1	जयपुर प्रथम	2	2	3	1	1	–	–
2	जयपुर द्वितीय	2	1	2	1	1	–	–
3	अलवर	3	3	1	–	–	–	–
4	भरतपुर	2	2	1	–	–	–	–
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	सीकर	3	2	2	1	2	0	0
7	दौसा	1	3	4	1	6	–	–
8	झुंझुंनू	3	–	2	–	–	–	–
9	जोधपुर	3	3	5	–	2	–	–
10	बाडमेर	2	–	4	–	2	–	–
11	जैसलमेर	1	1	3	–	–	–	–
12	सिरोही	2	–	2	–	2	–	–
13	पाली	3	2	2	1	2	–	–
14	जालौर	2	–	3	–	1	–	–
15	बीकानेर	3	2	3	–	2	–	–
16	गंगानगर	3	2	2	–	2	–	–
17	हनुमानगढ	2	2	2	–	2	–	–
18	चूरू रतनगढ	3	1	2	1	2	–	–
19	अजमेर	4	3	3	–	2	–	–
20	भीलवाडा	1	1	2	1	1	1	–
21	नागौर	3	–	2	1	2	–	–
22	टोंक	2	1	2	1	2	–	–
23	कोटा	3	2	2	–	–	–	–
24	बारां	–	2	4	1	3	–	–
25	सवाई माधोपुर	2	1	2	1	1	–	–
26	करौली	1	1	2	–	2	–	1
27	झालावाड	2	2	3	–	1	–	–
28	बून्दी	–	1	4	1	2	–	–
29	उदयपुर	3	2	4	1	2	–	–
30	राजसमन्द	–	3	4	1	3	–	–
31	डूंगरपुर	2	–	1	–	1	–	–
32	बांसवाड़ा	3	–	2	–	2	–	–
33	चित्तौडगढ	1	–	2	–	1	–	–
34	प्रतापगढ	2	1	–	–	1	–	–
	योग	70	47	83	14	53	1	1

2211-001-(03) DFWB CSS
Statement Showing District-wise Sanction Posts of RCHO

S.N.	District	RCHO	Accountant 09-10	SA	Ref. Mach.	LDC	UDC	Driver	IV Class	Total
1	AJMER	1		1	1	1	-	3	-	7
2	NAGAUR	1		1	1	1	-	3	-	7
3	TONK	1		1	1	1	-	2	-	6
4	BHILWARA	1	1	1	-	1	-	3	-	7
5	JAIPUR I	1		1	1	1	-	4	-	8
6	JAIPUR II	1		-	-	2	1	1	1	6
7	DAUSA	1		-	-	0	-	-	-	1
8	SIKAR	1		1	-	1	-	3	-	6
9	JHUNJHUNU	1		1	1	1	-	3	-	7
10	ALWAR	1	1	1	1	1	-	4	-	9
11	BHARATPUR	1	1	1	1	1	-	2	-	7
12	DHOLPUR	1		1	1	1	-	2	-	6
13	CHURU	1		1	1	1	-	3	-	7
14	BIKANER	1		1	1	1	-	3	-	7
15	GANGANAGAR	1		1	1	1	-	4	-	8
16	HANUMANGARH	1		-	-	-	-	-	-	1
17	JALORE	1		1	1	1	-	3	-	7
18	BARMER	1		1	1	1	-	4	-	8
19	JAISALMER	1		-	-	1	-	1	--	3
20	PALI	1		-	-	-	-	2	-	3
21	SIROHI	1		-	-	1	-	2	-	4
22	JODHPUR	1		1	1	1	-	3	-	7
23	BUNDI	1		1	1	1	-	1	-	5
24	JHALAWAR	1		1	1	1	-	2	-	6
25	KOTA	1		1	1	1	-	4	-	8
26	BARAN	1		-	-	-	-	-	-	1
27	S. MADHOPUR	1	1	1	1	1	-	3	-	8
28	KARAULI	1		-	-	-	-	-	-	1
29	CHITTORGARH	1	1	1	1	1	-	3	-	8
30	PRATAPGARH	1		-	-	2	1	1	1	6
31	UDAIPUR	1	1	1	1	1	-	3	-	8
32	RAJSAMAND	1		-	-	-	-	-	-	1
33	DUNGARPUR	1		-	1	1	-	2	-	5
34	BANSWARA			1	1	1	-	3	-	7
TOTAL		34	6	23	22	30	2	77	2	196

2211-001-(03) DEWB CSS

Statement Showing District-wise Sanction Posts of Addl./Dy. CM&HO

S.N	District	Ad./ Dy. CM HO	A. D.O.	E.P O.	Dy. E.P.O.	Acctt.	U D C	U DC	L DC	SA	S.I.	Comp.	Proje ctist	Dvr	IV	Total
1	AJMER	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
2	NAGAUR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
3	TONK	1	1	1	2	1	-	3	1	-	-	1	1	2	3	17
4	BHILWARA	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
5	JAIPUR I	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	JAIPUR II	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	1	8
7	DAUSA	1	1	1	2	1	1	2	2	1	-	1	-	-	3	14
8	SIKAR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	-	2	4	19
9	JHUNJHUNU	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
10	ALWAR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
11	BHARATPUR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
12	DHOLPUR	1	-	1	2	1	1	1	-	-	1	-	1	2	2	13
13	CHURU	1	1	1	2	1	-	2	1	1	-	1	1	2	4	18
14	BIKANER	1	1	1	2	1	1	2	1	1	-	1	1	2	4	19
15	GANGANAG AR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	-	2	4	19
16	HANUMANG ARH	1	1	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	3	12
17	JALORE	1	1	1	2	1	-	3	1	-	-	1	1	2	4	18
18	BARMER	1	1	1	2	1	-	3	1	-	-	1	1	2	4	18
19	JAISALMER	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
20	PALI	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	-	2	4	19
21	SIROHI	1	1	1	2	1	-	3	1	1	-	1	1	2	4	19
22	JODHPUR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
23	BUNDI	1	1	1	2	1	-	2	1	1	-	1	1	2	4	18
24	JHALAWAR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
25	KOTA	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
26	BARAN	1	1	1		1	1	2	2	1	-	1	-	-	4	15
27	S. MADHOPUR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
28	KARAULI	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7
29	CHITTORGA RH	1	1	1	2	1	-	3	1	1	-	1	-	2	4	18
30	PRATAPGAR H	1	-	-	-	-	-	3	2		-	-	-	1	1	8
31	UDAIPUR	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
32	RAJSAMAND	1	1	1	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	3	13
33	DUNGARPUR	1	1	1	2	1	-	2	1	1	-	1	1	2	4	18
34	BANSWARA	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-	1	1	2	4	20
	TOTAL	34	31	32	54	32	23	92	39	27	1	28	23	56	120	592

जिला क्षय रोग चिकित्सालयों में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत पदों का विवरण

क.सं.	जिले का नाम	नर्स द्वितीय	म.स्वा. का.	व.ले.टैक्नी	ले.टैक्नी	रेडियो ग्राफर	सहा. रे. ग्रा.	कार्या. सहा.	व.लिपिक	क.लिपिक	टीबीएचवी	बीसीजी टैक्नी.	वाहन चालक	वार्ड बॉय	स्वीपर	एनएम टीएल	च.श्रे. क.
1	जयपुर प्रथम	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	3	1	1	1	—	1
2	जयपुर द्वितीय	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	3	—	—	—	1	—
3	अलवर	1	—	—	2	—	1	—	1	2	2	1	—	2	1	1	—
4	भरतपुर	1	—	—	2	—	1	—	1	2	3	2	1	2	1	1	—
5	धौलपुर	1	—	—	2	1	1	—	1	1	2	1	—	1	1	—	—
6	सीकर	1	—	—	2	—	1	—	1	2	1	—	1	2	1	1	—
7	दौसा	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—
8	झुंझुनू	1	—	—	1	—	1	—	1	1	3	1	1	5	1	1	—
9	जोधपुर	1	—	—	2	—	1	—	1	2	3	4	—	3	—	1	—
10	बाडमेर	4	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—
11	जैसलमेर	4	1	—	2	—	1	—	1	2	2	1	—	—	—	—	4
12	सिरोही	1	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	2	1	—	—
13	पाली	4	1	—	1	—	1	—	1	2	2	1	1	—	1	—	6
14	जालौर	1	0	—	2	—	1	—	1	1	2	—	1	2	1	1	—
15	बीकानेर	1	—	—	2	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	1	3
16	गंगानगर	1	0	—	2	—	1	—	1	1	2	2	0	2	1	—	—
17	हनुमानगढ	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
18	चूरू रतनगढ	1	—	—	2	—	1	—	1	2	1	—	—	2	1	—	—
19	ब्यावर अजमेर	1	—	—	2	1	—	—	1	2	2	1	—	—	1	—	—
20	अधीक्षक अजमेर	1	—	1	3	—	2	1	1	2	3	—	2	5	4	—	—
21	भीलवाडा	4	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	4	—	1	—
22	नागौर	4	1	—	1	—	1	—	1	1	2	1	—	4	2	—	—
23	टोंक	1	0	—	2	—	1	—	1	2	2	—	—	—	1	1	2
24	कोटा	1	—	—	2	—	1	—	1	2	2	1	1	2	1	—	—
25	बारां	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—
26	सवाई माधोपुर	4	1	—	2	—	1	—	1	2	2	1	1	4	2	—	1
27	करौली	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—
28	झालावाड	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	2	1	—	—
29	बून्दी	4	1	—	2	—	1	—	1	1	2	—	1	2	1	1	—
30	उदयपुर	1	—	—	2	—	1	—	1	2	2	—	1	—	1	—	2
31	राजसमन्द	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
32	डूंगरपुर	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	3	1	1	—
33	बांसवाडा	4	1	—	1	—	1	—	1	2	2	—	1	4	0	—	—
34	चित्तौडगढ	1	—	—	1	—	1	—	1	2	1	1	1	3	—	—	—
35	प्रतापगढ	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
	योग	60	11	1	53	3	28	1	30	42	61	31	20	66	29	13	22

LIST OF BLOCK CMOs POST SANCTIONED

S.No	NAME OF DISTRICT	Block CMOs Post Sanction
1	AJMER	8
2	ALWAR	14
3	BANSWARA	8
4	BARAN	7
5	BARMER	8
6	BHARATPUR	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	BIKANER	5
9	BUNDI	4
10	CHITTORGARH	11
11	CHURU	6
12	DHOLPUR	4
13	DOUSA	5
14	DUNGARPUR	5
15	HANUMANGARH	3
16	JAIPUR	13
17	JAISALMER	3
18	JALORE	7
19	JHALAWAR	6
20	JHUNJHUNU	8
21	JODHPUR	9
22	KARAULI	5
23	KOTA	5
24	NAGOUR	11
25	PALI	10
26	PRATAPGARH	4
27	RAJSAMAND	7
28	SAWAIMADHOPUR	5
29	SIKAR	8
30	SIROHI	5
31	SRIGANGANAGAR	7
32	TONK	6
33	UDAIPUR	10
	TOTAL:-	237

कार्यालय खण्ड मु.चि.अधिकारी के अधीन विभागीय अराजपत्रित सवंर्ग के पदों का विवरण

क.सं.	जिला	वरि.लिपिक	क.लिपिक	स्वा.निरी.	बीएचएस मेल	बीएचएस फिमेल	लेखाकार/क.लेखा.	का.सहा.	कम्प्यूटर	वा.चालक	च.श्रे.क.	सफाई कर्म.
		स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.	स्वी.
1	अजमेर	8	8	8	3	8	3	1	2	6	7	1
2	अलवर	14	14	14	3	14	5	2	10	14	8	5
3	बांसवाडा	8	8	8	2	8	1	—	—	6	3	1
4	बारां	7	7	7	2	7	2	—	—	4	3	2
5	बाडमेर	8	8	6	2	8	2	1	2	4	5	1
6	भरतपुर	9	9	9	2	9	3	2	6	5	9	—
7	भीलवाडा	11	11	11	3	11	4	2	4	7	10	1
8	बीकानेर	5	5	5	1	5	3	1	2	4	5	—
9	बूंदी	4	4	3	1	4	1	—	—	3	3	—
10	चित्तौडगढ	11	11	11	4	11	4	3	[illegible]	7	7	3
11	रतनगढ चुरू	6	6	6	2	6	2	1	[illegible]	4	6	—
12	दौसा	5	5	5	1	5	1	—	4	3	3	1
13	धौलपुर	4	4	4	1	4	1	—	[illegible]	3	3	1
14	डूंगरपुर	5	5	5	1	5	1	—	[illegible]	3	3	—
15	हनुमानगढ	3	3	3	1	3	2	—	—	3	3	—
16	श्रीगंगानगर	7	7	6	2	7	4	2	[illegible]	5	7	0
17	जयपुर I	7	7	7	2	7	2	2	[illegible]	5	7	—
17	जयपुर II	6	6	6	2	6	4	1	—	3	6	—
18	जैसलमेर	3	3	3	1	3	1	—	—	2	3	—
19	जालोर	7	7	7	2	7	3	1	[illegible]	5	4	2
20	झालावाड	6	6	6	2	5	1	1	[illegible]	5	5	—
21	झुझुनु	8	8	8	2	8	2	1	[illegible]	5	5	1
22	जोधपुर	9	9	9	2	9	2	1	[illegible]	6	5	1
23	करौली	5	5	5	1	5	1	—	[illegible]	4	2	—
24	कोटा	5	5	5	1	5	1	—	[illegible]	4	3	—
25	नागौर	11	11	11	3	11	3	1	[illegible]	7	9	—
26	पाली	10	10	10	3	9	3	2	[illegible]	8	8	2
27	प्रतापगढ	4	4	4	1	4	1	1	[illegible]	2	3	—
28	राजसमंद	7	7	7	2	5	4	—	[illegible]	4	5	1
29	स.माधोपुर	5	5	5	2	5	1	—	—	3	3	—
30	सीकर	8	8	8	2	7	1	1	4	6	4	0
31	सिरोही	5	5	5	2	5	1	—	1	5	3	—
32	टोंक	6	6	6	2	5	2	1	—	4	5	1
33	उदयपुर	10	10	10	2	9	2	1	[illegible]	5	7	1
		237	237	233	65	230	74	29	[illegible]	164	172	25

LIST OF No. OF PHCs AND DOCTOR POSTs SANCTIONED

S.No	NAME OF DISTRICT	No. of PHCs	Post Sanctioned		
			JS	SMO	RMO
1	AJMER	43	0	3	43
2	ALWAR	70	0	5	67
3	BANSWARA	42	0	1	41
4	BARAN	36	0	4	37
5	BARMER	59	0	2	57
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	BHILWARA	63	0	6	65
8	BIKANER	39	0	3	39
9	BUNDI	25	0	0	25
10	CHITTORGARH	37	0	4	35
11	CHURU	60	0	3	59
12	DHOLPUR	21	0	1	21
13	DOUSA	29	0	3	29
14	DUNGARPUR	37	0	0	38
15	HANUMANGARH	39	0	0	39
16	JAIPUR	89	0	9	94
17	JAISALMER	15	0	2	14
18	JALORE	53	0	2	53
19	JHALAWAR	30	0	0	30
20	JHUNJHUNU	72	0	7	68
21	JODHPUR	66	0	3	66
22	KARAULI	25	0	2	28
23	KOTA	27	0	3	31
24	NAGOUR	89	0	7	92
25	PALI	67	0	9	74
26	PRATAPGARH	22	0	1	25
27	RAJSAMAND	36	0	2	36
28	SAWAIMADHOPUR	22	0	1	23
29	SIKAR	70	0	5	74
30	SIROHI	22	1	1	22
31	SRIGANGANAGAR	41	0	2	41
32	TONK	45	0	3	47
33	UDAIPUR	69	0	1	70
	TOTAL:-	1517	1	98	1540

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभागीय अराजपत्रित संवर्ग के पदों का विवरण

क.सं.	जिले का नाम	नर्स प्रथम	नर्स द्वितीय	म.स्वा.द.	म.स्वा.का.	ले.टैक्नी	व.लिपिक	क.लिपिक	दाई	वार्ड बॉय	स्वीपर	वाहन चालक	एमपीडब्लू
1	जयपुर प्रथम	3	114	29	59	53	8	4	0	75	71	2	19
2	जयपुर द्वितीय	0	81	18	37	30	2	1	0	67	32	2	14
3	अलवर	7	195	49	94	81	7	4	10	189	84	25	0
4	भरतपुर	0	110	17	60	54	0	0	2	155	0	2	54
5	धौलपुर	0	42	7	21	21	1	5	0	38	22	1	12
6	सीकर	3	141	25	69	65	7	14	0	89	63	1	45
7	दौसा	1	58	11	29	24	1	0	0	57	22	3	17
8	झुंझुनू	1	138	19	65	63	3	7	0	93	47	0	13
9	जोधपुर	6	133	36	69	69	4	7	0	149	19	1	27
10	बाडमेर	2	124	22	62	61	0	0	1	66	48	2	48
11	जैसलमेर	0	35	5	18	18	0	0	0	14	14	2	12
12	सिरोही	3	42	7	21	19	2	1	1	25	21	0	9
13	पाली	6	140	25	72	60	5	5	0	134	65	3	28
14	जालौर	0	109	20	52	54	3	1	1	62	42	1	33
15	बीकानेर	1	73	7	38	42	1	2	0	51	20	1	7
16	गंगानगर	2	75	17	42	40	5	4	0	44	0	0	17
17	हनुमानगढ	1	84	13	41	38	0	1	0	33	23	1	14
18	चूरू रतनगढ	0	128	21	62	59	2	3	0	66	29	1	26
19	अजमेर	0	90	20	43	34	0	2	0	74	50	1	22
20	भीलवाडा	0	121	23	62	53	5	14	1	121	63	2	23
21	नागौर	3	174	30	91	76	7	9	0	124	66	2	35
22	टोंक	1	81	26	36	41	3	1	1	62	45	2	14
23	कोटा	5	52	5	26	23	0	0	0	36	23	2	20
24	बारां	10	66	10	34	31	0	0	0	41	22	1	5
25	सवाई माधोपुर	1	45	8	18	21	2	2	0	25	25	0	19
26	करौली	1	47	7	25	23	0	0	0	34	28	1	22
27	झालावाड	5	64	13	37	32	0	0	0	47	26	1	23
28	बून्दी	0	47	11	26	24	1	0	0	45	21	1	11
29	उदयपुर	15	207	31	116	89	16	16	0	148	63	12	38
30	राजसमन्द	0	73	16	33	31	2	1	0	57	37	1	19
31	डूंगरपुर	5	95	15	39	39	12	12	0	70	38	7	0
32	बांसवाडा	2	34	10	20	13	6	6	0	33	20	3	11
33	चित्तौडगढ	2	67	16	32	37	0	0	0	89	22	2	16
34	प्रतापगढ	2	38	5	14	16	3	3	0	37	2	3	15
	योग :–	88	3123	594	1563	1434	108	125	17	2450	1173	89	688

ग्राम पंचायत स्तर पर

जिलेवार उप स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या

क.सं	जिले का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
1	अजमेर	290	290
2	अलवर	576	576
3	बारां	206	206
4	बासंवाडा	401	401
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	भरतपुर	396	396
7	भीलवाडा	415	415
8	बीकानेर	383	383
9	बूंदी	177	177
10	चित्तौडगढ	300	300
11	चुरू	377	377
12	दौसा	237	237
13	धौलपुर	195	195
14	डूंगरपुर	318	318
15	गंगानगर	350	350
16	हनुमानगढ	285	285
17	जयपुर	525	525
18	जैसलमेर	137	137
19	जालोर	394	394
20	झालावाड	274	274
21	झुन्झुनू	444	444
22	जोधपुर	579	579
23	करौली	256	256
24	कोटा	161	161
25	नागौर	678	678
26	पाली	432	432
27	प्रतापगढ	174	174
28	राजसमंद	219	219
29	सवाई माधोपूर	228	228
30	सीकर	536	536
31	सिरोही	191	191
32	टोंक	250	250
33	उदयपुर	557	557
	राजस्थान	11487	11487